अति आवश्यक

कमांक 3/7/2002-3एन0जी0आई०एस0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1 सभ	विभागाध्यक्ष,	हरियाणा ।
------	---------------	-----------

- 2 आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुड़गॉव, रोहतक, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल ।
- 3 रजिस्द्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
- 4 सभी जिला एवं सत्र न्यायधीश, हरियाणा
 - सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़ // जनवरी 2021

विषयः--

5

अधिकारियों / कर्मचारियों के सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर नई सामूहिक बीमा योजना–1985 के अन्तर्गत फार्म–ा में तथा उनके एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आने पर / नियमित पदोन्नति होने पर फार्म–ाा में इन्रोलमेंट सम्बन्धित सूचना भेजने बारे ।

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र कमांक 3/7/2002–3एन0जी0आई0एस0 दिनांक 16–01–2020 (मूलपत्र दिनांक 29–10–2002) की ओर दिलाउं और सूचित कफ़ कि प्रायः यह देखने में आया है कि बहुत कम विभागों द्वारा फार्म–ा तथा ाा में इन्रोलमेंट से सम्बच्धित सूचना सरकार को भेजी जा रही है । इस सम्बन्ध में यह भी सूचित किया जाता है कि जिन विभागों द्वारा यह सूचना भेजी जा रही है वह जी0आई0एस0 की हिदायतों तथा नियमों को ध्यान में रखकर नहीं भेजी जाती है । आपके ध्यान में यह भी लाया जाता है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सरकारी सेवा में ज्वाईन करने पर उनकी जी0आई0एस0 की कटौती बारे जारी हिदायतें कमांक 1/5/89–1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 13–10–1989 के पैरा–3 तथा ग्रुप सी, बी, ए के अधिकारियों/कर्मचारियों के सरकारी सेवा में ज्वाईन करने पर जी0आई0एस0 की कटौती की सूचना हिदायतों कमांक 1/23/89–1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 2–1–1990 के तहत फार्म–ा में भरकर सरकार को भेजी जाए तथा उनकी सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि भी दर्शाई जाए । अधिकारियों/कर्मचारियों के एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में नियमित पदोन्नत होने पर उनकी जी0आई0एस0 की कटौती की सूचना सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना–1985 के नियम 5(2) तथा हिदायतों कमांक 1/23/89–1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 2–1–1990 के अंतर्गत [जनवरी (वर्षगांठ) से एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी की जी0आई0एस0 की कटौती का रूक] प्रार्म–ाा में भरकर सरकार को भेजी जाए

2 आपसे यह भी अनुरोध है कि आप अपने अधीन सभी डीoडीoओजo को निर्देश दें कि वे समय-समय पर फार्म-ा तथा फार्म-ाा में इन्रोलमेंट सम्बन्धित सूचना अपने विभागाध्यक्षों को अवश्य भेजते रहें और विभाग यह सुनिश्चित करे कि सूचना चेक करने के उपरान्त ही सरकार को भेजी जाए तथा उक्त बताए नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। ताकि सरकारी सेवा में आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों तथा नियमित तौर पर पदोन्नत किए गए अधिकारियों/ कर्मचारियों के सही आंकडों तथा उनकी सही तरह से की गई जीoआईoएसo की कटौती का सरकार को पता चल सके।

> उन्तु बाला अधीक्षक, एन०जी०आई०एस०

अधाक्षक, एन०जा०आइ०एस० कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार्।

इसकी एक—एक प्रति सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

टा नु ज जि अधीक्षक, एन०जी०आई०एस० कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकारू।

सेवा में

1

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार अशाo कमांक 3/7/2002–3एन0जी0आई०एस० दिनांक, च प्रo कमांक 3/7/2002–3एन0जी0आई०एस० दिनांक, च

दिनांक, चण्डीगढ़, // जनवरी 2021 दिनांक, चण्डीगढ़, // जनवरी 2021

- इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:– सभी खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी, हरियाणा ।
- 2 प्रधान महालेखाकार (ए० एण्ड ई०), हरियाणा ।

भन् जोला अधीक्षक, एन०जी०आई०एस० कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार्।